

बिहार सरकार
कृषि विभाग।

पत्र सं०-01/एल०ए०जी०-18/2014

/कृ० पटना, दिनांक

आदेश

वित्त विभाग, बिहार, पटना के संकल्प ज्ञापांक 3/एफ-01-29/13-1789/वि० दिनांक 20.02.2014 में निहित निदेश के आलोक में सम्मिलित बिहार कृषि सेवा के निम्नांकित पदाधिकारियों को उनके नाम के सामने अंकित अवधि एवं स्तंभ 4 में अंकित दिनों का उपार्जित अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है :-

क्र०	पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम	अवधि	कुल दिन
1	2	3	4
1	श्री आलोक कुमार सिंह, जिला कृषि अभियंत्रण पदाधिकारी, पटना तत्कालीन उप निदे० (सर्वे) भूमि संरक्षण, बिहार, पटना।	17.01.09 से 09.02.09	24 दिन
2	श्री लक्ष्मण मिश्र, सेवा निवृत्त उप कृषि निदे० (मूल्यांकन), पी० पी० एम० कोषांग, कृषि विभाग, पटना।	17.01.09 से 09.02.09	24 दिन
3	श्री अखौरी रवीश चन्द्र, सेवा निवृत्त सिंचाई विशेषज्ञ, पी० पी० एम० कोषांग, बिहार, पटना।	17.01.09 से 09.02.09	24 दिन

2. उक्त अवधि के छुट्टी वेतन भत्ते का भुगतान वेतन एवं भत्ते के मद में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

3. जिन पदाधिकारियों का उक्त अवधि का असाधारण अवकाश स्वीकृति हुआ हो, उसे इस हद तक संशोधित समझा जाए।

ह०/-

(संजय प्रियदर्शी)

सरकार के उप सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक

/कृ०, पटना, दिनांक

2015

प्रतिलिपि : महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना एवं संबंधित कोषांगार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के उप सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक

/कृ0, पटना, दिनांक

2015

प्रतिलिपि : सभी संबंधित पदाधिकारी/संबंधित संयुक्त कृषि निदेशक/संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के उप सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक

/कृ0, पटना, दिनांक

2015

प्रतिलिपि : कृषि निदेशक, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, कृषि के आप्त सचिव/संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-


सरकार के उप सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।


ज्ञापांक

1326

/कृ0, पटना, दिनांक 13-03-2015

प्रतिलिपि : उप निदेशक (सूचना) एवं आई0 टी0 मैनेजर, कृषि विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


12.03.15



सरकार के उप सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।